

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

भगवान लाल बनाम

राजू देवी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 352/25

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/9/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती भगवान लाल

पिता श्री सुरजमल देवी

निवासी- ओड़ुन तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

ओड़ुन स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

134/1691 , 135 , 135/1670 , 136
0.11 , 0.11 , 0.32 , 0.23

कुल कीता 04 कुल रकबा 0.77 है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ओड़ुन स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 134/1691 , 135 , 135/1670 , 136
0.11 , 0.11 , 0.32 , 0.23

कुल कीता 04 रकबा 0.77 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10000 रुपये अक्षर रु 5000 मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू देवल)
सहायक क्लर्क एच
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)